न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/101/21	2021/319	08–10–2021	18–12–2024

1. हनुमानसहाय पुत्र श्री रामसुखा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम थानागाजी तह0 थानागाजी जिला अलवर राज0।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार थानागाजी
निर्णय दिनांक 06.06.2018

उपस्थितः–

01–श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपी0
02–राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, थानागाजी के आदेश दिनांक 06.06.2018 जिसके द्वारा अपी0 की अपील खारिज की गई है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि निर्णय तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज० दिनांक 06–06–2018 प्रकरण संख्या 05/2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है। जो श्रीमान के श्रवण योग्य है। निर्णय तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज० दिनांक 06–06–2018 प्रकरण संख्या 05/2018 होने से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में पेश की जा रही है। आराजी खसरा नंबर 2152 रकबा 0.05 हैक्टर एंव खसरा नंबर 2229 रकबा 0.01 हैक्टर वाके ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिस पर अतिक्रमण मानते हुये, बेदखल करने के आदेश दिये गये है। जो आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य एंव सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही देते हुये, निर्णय पारित किया है। जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त है। नोटिस में वर्णित विवादित स्थल से रामेश्वर दयाल पुत्र भगवान सहाय जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान का कोई लेना देना नही है। नोटिस में जो विवादित स्थल बताया गया हैं, वहां पर आराजी खसरा नंबर 2153 ग्राम थानागाजी स्थित हैं। जिस खसरा नंबर के तरफ उत्तर में पूर्व पश्चिम लम्बाई में गैरमुमकिन रास्ता खसरा नंबर 2153 व 2229 स्थित है। जिस रास्ते का अतिक्रमण बताते हुये, उसके तोडने के आदेश तहत अदालत द्वारा दिये गये हैं, जबकि उक्त आराजी खसरा नंबर 2153 रकबा 0.80 हैक्टर मिन अपीलान्ट हनुमानसहाय, व बद्रीप्रसाद, उमाकान्त पुत्रान श्री रामसुखा, सन्ती धर्मपत्नि स्व. मुक्त, कालू, कैलाश, साधु, रामजीलाल बागडा ब्राह्मण निवासी थानागाजी की खातेदारी की जमीन हैं, हमने उक्त आराजी के तरफ उत्तर में डण्डा निर्माण जंहा पहले से कोरे पारे का डण्डा बना हुआ था, वही पर पुख्ता डण्डा निर्माण किया है। जंहा पर मौके पर 32–33 फुट चौडा रास्ता वर्तमान में मौजूद है। रास्ते पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। परन्तु मिन अपीलान्ट व उक्त अन्य लोगो को तहत अदालत द्वारा ना तो कोई नोटिस दिया गया हैं, और ना सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। और मिन अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी में बने हुये डण्डे को तोडने

अति. कलक्टर (प्रथम)
18.12.24

के आदेश तहत अदालत ने जारी किये है। जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय तहत अदालत अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट ने रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं, ना अपीलान्ट का रास्ता की आराजी पर कब्जा है। मौके पर डण्डा हमारी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2153 में बना हुआ हैं। उक्त आराजी के तरफ उत्तर में ग्राम दुहारचौगान व दक्षिण दिशा में ग्राम थानागाजी हैं। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, मौके पर आज भी 32–33 फुट चौडा रास्ता चालू हैं। खसरा नंबर 2229 में जो रास्ता हैं, वह हमारे खसरा नंबर 2153 से काफी दूर हैं। खसरा नंबर 624 के खातेदार ने मौके पर चारदीवारी की हैं, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की है। हमारी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2153 रकबा 0.80 ऐयर हैं, लेकिन मौके पर रकबा 0.70 ऐयर है। इस प्रकार हमारी आराजी मौके पर कम है। प्रकरण में रामेश्वर दयाल का कोई लेना देना नही है। उसको गलत नोटिस दिया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाते हुये, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय थानागाजी जिला अलवर राजस्थान का निर्णय दिनांक 06–06–2018 प्रकरण संख्या 05/2018 निरस्त फरमाया जावे। अन्य दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमायी जावे।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का थानागाजी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 2152 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, ख0नं0 2229 रकबा 2.73 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का थानागाजी अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 2152 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.05 है0 एवं खसरा नंबर 2229 रकबा 0.2.73 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 है0 पर पक्की चार दिवारी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा किया गया उक्त आराजी में से 0.06 है0 पर किया गया निर्माण आदि अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी का आदेश दिनांक 06.06.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)